# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष एम.डी. बड़गैया

सदस्य निमिष परमार)

प्रकरण क्रमांक / 27 / 2026

सस्थित दिनांक 07.07.2026

श्री अरूण भद्रा, ....परिवादी

रमण मंदिर वार्ड, फाफाडीह, सचदेव धर्मशाला के बाजू,

धर्मार्थ शहनाई गेस्ट हाउस, रायपुर (छ.ग.)

मों.नं. – 94252–02319

**विरूद्ध**

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (मध्य), ....उत्तरवादी

छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

## आदेश

**(दिनांक 23 / 07 / 2026 को पारित)**

अपने परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन, बी.पी.क्रमांक 1000077773 की जांच उत्तरवादी के सतर्कता दल द्वारा किए जाने के पश्चात उत्तरवादी द्वारा प्रेषित राशि रू. 61997.00 के मांग पत्र को निरस्त किए जाने एवं विद्युत कनेक्शन, बी.पी.क्रमांक 1009616429 का लाईन विच्छेदन बगैर पूर्व सूचना के किए जाने से असंतुष्ट होकर परिवादी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है ।

2. मामले में उभयपक्षों के मध्य निम्नालिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है –

क. 6 / 502, कोल्ड स्टोरेज के पीछे, रमण मंदिर के पास, फाफाडीह रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, 4.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन, ए.सी. एसोसिएट्स पार्टनर श्री अरूण भद्र के नाम पर, बी.पी.क्रमांक 1000077773 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

ख. रमण मंदिर वार्ड, फाफाडीह रायपुर स्थित परिवादी के परिसर में, व्यावसायिक उपयोग हेतु, 3.0 कि.वा. भार का विद्युत कनेक्शन, सोनिया भोई (सोनिया किचन) के नाम पर, बी.पी.क्रमांक 1009616429 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदान किया गया है ।

3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद / शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि –

परिवादी के अनुसार उसके परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000077773 का उपयोग धर्मार्थ गेस्ट हाउस व निःशुल्क थैलेसेमिया सेंटर हेतु किया जाता है । उत्तरवादी

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

के सतर्कता दल द्वारा जांच के दौरान इस कनेक्शन का उपयोग शहनाई गेस्ट हाउस एवं कैफेटेरिया में किया जाना बताते हुए त्रुटिपूर्ण तरीके से स्थल निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया गया जिसके आधार पर उत्तरवादी द्वारा राशि रू. 61997.00 का पूरक देयक प्रेषित कर दिया गया जो कि अनुचित है । परिवादी द्वारा, परिसर की पुनः जांच करते हुए उक्त पूरक देयक राशि में सुधार किए जाने का निवेदन किया गया है ।

परिवादी के अनुसार उसके विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 में विद्युत का उपयोग कम होने के बाद भी, साल भर की खपत का, अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित करते हुए उत्तरवादी द्वारा बगैर पूर्व सूचना के एवं देयक की जांच किए बिना ही उसका कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया जो कि नियमों के विरूद्ध है ।

4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी द्वारा पत्र क्रमांक 1568 दिनांक 13.07.2026 के माध्यक से प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि –

कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) द्वारा परिवादी के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000077773 की जांच किए जाने पर उसका उपयोग शहनाई गेस्ट हाउस एवं कैफेटेरिया हेतु किया जाना पाया गया । स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका 11.8(4), 11.10 एवं 11.12 के अनुसार बिलिंग करते हुए राशि रू. 61997.00 का मांग पत्र परिवादी को प्रेषित किया गया ।

परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 का माह अप्रेल एवं मई 2026 का विद्युत देयक मीटर में दर्ज वास्तविक खपत क्रमशः 882 एवं 1037 यूनिट का जारी किया गया था जिसका भुगतान न होने पर दिनांक 24.06.2026 को परिवादी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया एवं बकाया राशि का पूर्ण भुगतान होने पर दिनांक 25.06.2026 को पुनः संयोजित कर दिया गया ।

5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं –

(i) क्या कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) द्वारा परिवादी के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000077773 की जांच की कार्यवाही भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत है । यदि हां तो क्या फोरम इस प्रकरण की सुनवाई किए जाने के लिए अधिकृत है ।

(ii) क्या परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 का माह अप्रेल एवं मई 2026 का विद्युत देयक उसके मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार है या पूर्व अवधि की एकत्रित खपत का है ।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
रायपुर
(शहर)

(iii) क्या परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 में बकाया राशि शेष रहने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी लाईन विच्छेदन की कार्यवाही नियमानुसार है ।

विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

6. परिवादी के परिसर स्थित विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1000077773 का, उत्तरवादी के सतर्कता दल द्वारा निरीक्षण किए जाने के पश्चात तैयार स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में यह टीप दर्ज की गयी है कि "विद्युत का उपयोग शहनाई गेस्ट हाउस एवं कैफेटेरिया में किया जा रहा है । दर परिवर्तन किया जावे ।" सतर्कता दल द्वारा दर्ज टीप से स्पष्ट है कि घरेलू श्रेणी के लिए प्रदायित विद्युत कनेक्शन का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था । सप्लाई कोड की कंडिका 11.8(4) के अनुसार Unauthorized use of electricity shall mean the usage of electricity- "for a purpose other than for which usage of electricity has been authorized." परिवादी द्वारा अपने परिसर में किया गया विद्युत के उपयोग में परिवर्तन, विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत होना स्पष्ट है ।

छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) विनियम 2023 में "Limitations/Pre-conditions for submission of grievances" शीर्षक के अंतर्गत कंडिका 8.9 यथा – "A complainant shall not be entitled to approach the forum in any of the following cases -

(ii) In cases which fall under **section 126**,127,135 to 139,152 and 161 of the Act.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण "Civil appeal No.5466 of 2012, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध अनीस अहमद," में दिए गए निर्णय दिनांक 01.07.2013 की कंडिका 47(ii) यथा –

"A complaint against the assessment made by assessing officer under section 126 or against the offences committed under section 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer forum."

उपरोक्त विवेचन से विचारणीय प्रश्न क्रमांक (i) का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के परिसर की जांच एवं बिलिंग का प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत आता है जिसकी सुनवाई इस फोरम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक (ii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

7. परिवादी के अनुसार उसके विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 का माह अप्रेल एवं मई 2026 का देयक अत्यधिक खपत का प्रेषित कर दिया गया एवं बिना देयक की

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

जांच किए हुए, बिना पूर्व सूचना के कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया । परिवादी द्वारा मीटर एवं देयक की जांच किए जाने की मांग की गयी है । इस संबंध में उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि उत्तरावादी को प्रेषित माह अप्रेल एवं मई 2026 का मासिक देयक एकत्रित खपत का न होकर उस माह में परिवादी के मीटर में दर्ज वास्तविक खपत पर आधारित था ।

उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत, स्मार्ट मीटर के एप से प्राप्त, परिवादी के उक्त मीटर की रीडिंग एवं खपत संबंधी आंकडों से 30 अप्रेल 2026 को परिवादी के मीटर में 1553 यूनिट दर्ज होना दर्शित होता है एवं माह अप्रेल 2026 के परिवादी के देयक में भी वर्तमान खपत 1553 यूनिट दर्ज है । इसी प्रकार 31 मई 2026 को परिवादी के मीटर में 2590 यूनिट दर्ज होना दर्शित होता है एवं माह मई 2026 के परिवादी के देयक में भी वर्तमान खपत 2590 यूनिट दर्ज है । विचारणीय प्रश्न कमांक (ii) का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी को प्रेषित माह अप्रेल एवं मई 2026 का मासिक देयक, एकत्रित खपत का न होकर मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार होने के कारण सही है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक (iii) की विवेचना एवं निष्कर्ष –

8. परिवादी के अनुसार उसके विद्युत कनेक्शन बी.पी.कमांक 1009616429 का उत्तरवादी द्वारा विद्युत विच्छेदन बिना किसी पूर्व सूचना के कर दिया गया जो कि नियमानुसार नहीं है । उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को उनके मोबाईल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रदान की जा रही है । परिवादी को भी तीन बार एस. एम.एस. के माध्यम से सूचित किए जाने के बाद भी भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में लाईन विच्छेदन की कार्यवाही की गयी है जो कि नियमानुसार है ।

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की कंडिका 56(1) के अनुसार किसी बकायादार उपभोक्ता की विद्युत लाईन विच्छेदित किए जाने के पूर्व उसे इस बाबत नोटिस जारी करते हुए सूचित किया जाना आवश्यक है । उत्तरवादी द्वारा, परिवादी को उसकी बकाया राशि के भुगतान हेतु एस.एम.एस. प्रेषित किए जाने के तथ्य की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उत्तरवादी द्वारा दिनांक 20.06.2026, दिनांक 21.06.2026 एवं दिनांक 22.06.2026 को परिवादी के देयक में दर्ज मोबाईल नं. 9425202319 पर एस.एम.एस. किया जाना दर्शित होता है । परिवादी द्वारा दी गयी सूचना पश्चात भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर दिनांक 24.06.2026 को परिवादी के उक्त कनेक्शन को विच्छेदित कर दिया गया । उक्त विचारणीय प्रश्न का यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी के विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने से पूर्व उत्तरवादी द्वारा उसे एस.एम.एस.

के माध्यम से सूचित किया गया था अतः बिना सूचना के विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाने का परिवादी का दावा सही नहीं है ।

9. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत हम यह पाते है कि परिवादी अपना मामला साबित करने में असफल रहा है । अस्तु प्रस्तुत परिवाद में निम्नानुसार आदेश प्रदान किया जाता है –

(i) परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 की जांच एवं पूरक बिलिंग के प्रकरण की सुनवाई इस फोरम के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

(ii) परिवादी के विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1009616429 का माह अप्रेल एवं मई 2026 का देयक, मीटर में दर्ज वास्तविक खपत पर आधारित होने के कारण सही है एवं इसकी देयक राशि का भुगतान न होने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी लाईन विच्छेदन की कार्यवाही भी नियमानुसार है ।

(iii) फोरम के अनुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है ।

10. यदि परिवादी/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) में अपील कर सकता है ।

मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

(निमिष परमार)
सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

आदेश पारित किया गया

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष